दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पास रुल्स/ 05/6455 दिनांक:-13.08.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-222/2018

विषय:-Inclusion of a Parent as well as "Medical Attendant" in Special Passes issued on medical grounds in favour of minor children of railway employees.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(W)2015/PS5-1/1 दिनांक 03.08.2018, RBE No. 104/2018, ACS No. 77 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: -

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

13-8-18
(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

(10)

E/R No - 222 - 2018 P/1

SECR

RBE No.: 104/2018

ADVANCE CORRECTION SLIP No.: 77

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No.E(W)2015/PS5-1/1 **New Delhi, dated 03.08.2018**

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

Sub: Inclusion of a Parent as well as "Medical Attendant" in Special Passes issued on medical grounds in favour of minor children of railway employees.

In the PNM/AIRF Meeting with Board, the Federation had raised the issue regarding non-inclusion of a parent in the Special Passes issued for outstation medical treatment of children of railway employees due to absence of necessary provision in the extant Pass Rules.

2. The issue has been examined in detail and in order to obviate the difficulties in such cases, it has been decided with the approval of the Competent Authority to incorporate the following provision in Schedule VII (Special Passes) of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition - 1993) as item No.5 (below Note of Item No.4) under Column 3 'Entitlement/facilities':-

> "5. In case of minor children (i.e. boys under the age of 15 years and girls under the age of 18 years), if referred to outstation hospitals for medical treatment, Special Passes in favour of (i) railway servant or his/her spouse, (ii) minor child requiring treatment and (iii) a Medical Attendant (who may be a family member or dependent or any other person) will be issued. The pass will ordinarily be issued for the class of entitlement of the railway servant on privilege account or in higher class, if otherwise admissible under these rules."

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

V. M.

(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

No.E(W)2015/PS5-1/1 **New Delhi, dated 03.08.2018**

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

....2/-

E/R.N.222/2018
P/2

आर बी ई सं.: 104/2018

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.: 77

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1 नई दिल्ली, दिनांक 03.08.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेल कर्मचारियों के नाबालिग बच्चों के पक्ष में चिकित्सीय आधार पर जारी किए जाने वाले विशेष पास में "चिकित्सीय परिचर" के साथ माता/पिता को शामिल करने के संबंध में।

बोर्ड के साथ पीएनएम/एआईआरएफ बैठक में, फेडरेशन ने मौजूदा पास नियमों में आवश्यक प्रावधान न होने के कारण रेल कर्मचारियों के बच्चों को आउट-स्टेशन चिकित्सीय उपचार के लिए जारी किए जाने वाले विशेष पास में माता/पिता को शामिल न करने के संबंध में मामला उठाया है।

2. मामले की विस्तार से जांच की गई है और ऐसे मामलों में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अनुसूची VII (विशेष पास) के कॉलम 3 'हकदारी/सुविधाओं' के अंतर्गत मद सं. 4 की टिप्पणी के नीचे मद सं. 5 के रुप में निम्नलिखित प्रावधान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है:-

"5. नाबालिग बच्चों के मामले में (अर्थात् 15 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियां), यदि चिकित्सीय उपचार के लिए आउट-स्टेशन अस्पताल भेजा जाता है तो विशेष पास (i) रेल सेवक या उनका/उनकी पति/पत्नी, (ii) नाबालिग बच्चा जिसका उपचार होना है और (iii) एक चिकित्सीय परिचर (जो परिवार का सदस्य या आश्रित या कोई अन्य व्यक्ति) के पक्ष में जारी किया जाएगा। पास सामान्यत: उस श्रेणी का जारी किया जाएगा जिसके लिए रेल सेवक सुविधा खाते पर हकदार है या उच्चतर श्रेणी में यदि इन नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य है।"

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं. ई(डब्ल्यू)2015/पीएस5-1/1 नई दिल्ली, दिनांक 03.08.2018

प्रतिलिपि:-

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

--2/-